# पेंशन और गैस रिफिल की राशि से बहनों-बुजुर्गों को संबल, 311 करोड़ रुपये अंतरित

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय से सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल की प्रोत्साहन राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सेवा और अंत्योदय है। समाज के हर वर्ग के कल्याण और खुशहाली के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रदेश के 35 लाख 25 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में जुलाई 2026 की पेंशन के रूप में 211 करोड़ 53 लाख रुपये अंतरित किए। उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि भले ही छोटी हो, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसका सहारा बहुत बड़ा है। उनके सम्मान और खुशी को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री ने आगामी रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की करीब 22 लाख 20 हजार बहनों के खातों में अप्रैल और मई 2026 की गैस सिलेंडर रिफिल की प्रोत्साहन राशि भी

भेजी। इसके तहत करीब 99 करोड़ रुपये की दो माह की राशि अंतरित की गई। उन्होंने कहा कि बहनों की खुशी में ही सरकार की खुशी है और उनके कल्याण में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

# देश के 100 श्रेष्ठ पुलिस अधीक्षकों में मध्य प्रदेश के तीन अधिकारी

## समीर सौरभ, संपत उपाध्याय और श्रद्धा तिवारी का चयन

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** देश के 100 श्रेष्ठ पुलिस अधीक्षकों की सूची में मध्य प्रदेश के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों का चयन हुआ है। इनमें मुरैना के पूर्व पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, जबलपुर के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय और भोपाल मुख्यालय की पुलिस उपायुक्त श्रद्धा तिवारी शामिल हैं।

अधिकारियों के चयन में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था में सुधार, जनमित्र पुलिसिंग, नेतृत्व एवं नवाचार, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यशैली, त्वरित निर्णय क्षमता, सजगता एवं संकट प्रबंधन, व्यवहार कुशलता तथा जनसंपर्क जैसे मानकों को आधार बनाया गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों

**▶▶ अपराध नियंत्रण और जनमित्र पुलिसिंग सहित कई मानकों पर हुआ मूल्यांकन**

के प्रबुद्ध लोगों की राय, मीडिया और सार्वजनिक छवि को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया।

सर्वेक्षण के अनुसार, जिला पुलिस का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, साइबर एवं संगठित अपराध से निपटने, यातायात प्रबंधन तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सर्वेक्षण के प्रथम चरण में उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों, प्रशासनिक स्रोतों, समाचार माध्यमों में प्रकाशित जानकारी, विशेषज्ञों की राय, सार्वजनिक सूचनाओं और क्षेत्रीय स्तर से मिले सुझावों के आधार पर देश के 100 प्रमुख पुलिस अधिकारियों की पहचान की गई।

सर्वेक्षण के आयोजकों के अनुसार, अधिकारियों के कार्यों और प्रदर्शन का मूल्यांकन आगे भी जारी रहेगा। अगले चरण में चयनित 100 अधिकारियों में से देश के 25 श्रेष्ठ पुलिस कप्तानों की विशेष सूची तैयार की जाएगी। चयनित अधिकारियों के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा।

# ट्विशा शर्मा मौत मामले में 17 अगस्त तक आरोप पत्र पेश करने का आदेश

**▶▶ दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी**

**▶▶ जमानत अर्जियों पर भी अदालत में लंबित सुनवाई**

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मॉडल एवं अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में दोनों आरोपितों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की वीडियो माध्यम से पेशी हुई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 17 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत ने 17 अगस्त तक आरोपपत्र दाखिल करने का

निर्देश दिया है।

ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि दोनों आरोपितों की 90 दिन की वैधानिक हिरासत अवधि भी नजदीक है। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी 21 मई को हुई थी, जबकि गिरिबाला सिंह को 27 मई को गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ता के अनुसार यदि 17 अगस्त तक आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं होता है तो आरोपितों की ओर से वैधानिक जमानत का आधार बन सकता है।

सीबीआई के अनुसार गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय में लंबित है। मामले की जांच से संबंधित अभिलेखों का बड़ा हिस्सा उच्च न्यायालय भेजे जाने के कारण मंगलवार को आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सीबीआई ने 17 अगस्त तक इसे दाखिल करने की बात कही है।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से विधिक सहायता के तहत नियुक्त अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद समर्थ सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एनर्स जॉर्ज ने उनकी ओर से पैरवी की अनुमति ली।

गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर उच्च न्यायालय में सुनवाई लंबित है। वहीं समर्थ सिंह आरोपपत्र प्रस्तुत होने के बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

# आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर निगम की कार्रवाई

**▶▶ दो दिन में 400 से अधिक लोगों को नोटिस**

**▶▶ कचरा मिलाने पर अस्पताल पर 50 हजार रुपये जुर्माना**

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** भोपाल नगर निगम ने मंगलवार को आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों और कचरा पृथक्करण में लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले 400 से अधिक लोगों को दो दिन में नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, गीले कचरे में जैव चिकित्सा अपशिष्ट मिलाकर देने पर वार्ड क्रमांक 68 के राजीव नगर स्थित बालाजी बहुविशेषज्ञ अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नगर निगम अधिकारियों ने गोविंदपुरा कचरा हस्तांतरण केंद्र पहुंचने वाले कचरा वाहनों की जांच के दौरान गीले कचरे के साथ जैव चिकित्सा अपशिष्ट मिला पाया। करीब तीन घंटे की जांच के बाद इस कचरे की पहचान बालाजी अस्पताल से हुई। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर प्रबंधन से कचरे की पुष्टि कराई। अस्पताल कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि कचरा उनके यहां से दिया गया था।

नगर निगम ने कचरा पृथक्करण नहीं करने और जैव चिकित्सा अपशिष्ट को निर्धारित निस्तारण व्यवस्था में देने के बजाय गीले कचरे के साथ मिलाकर देने पर जुर्माना लगाया। अस्पताल को दोबारा ऐसी लापरवाही मिलने पर बंद करने की अंतिम चेतावनी भी दी गई है। निगम ने कचरा वाहन चालकों को भी गीला, सूखा और अन्य प्रकार का कचरा अलग-अलग लेने के निर्देश दिए हैं। मिश्रित कचरा मिलने पर संबंधित वाहन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

## मरठा कलार समाज की महिलाओं का हरियाली सावन महोत्सव 16 को

**नप्र, भोपाल :** श्री क्षत्रिय मरठा कलार समाज महिला समिति भोपाल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला हरियाली सावन महोत्सव इस वर्ष 16 अगस्त को भगवान श्री गणेश सहस्त्रबाहु मंदिर परिसर, एकता पुरी में आयोजित किया जाएगा। समिति की सचिव वंदना डोहरे ने बताया कि आयोजन की तैयारियों को लेकर हाल ही में महिला समिति की अध्यक्ष कला गंगभोज की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें महोत्सव आयोजित करने पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह 11:30 बजे मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री शिव और भगवान श्री सहस्त्रबाहु का पूजन-अर्चन एवं आरती की जाएगी। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की जाएगी। प्रसादी वितरण के तत्काल बाद दोपहर 12:30 बजे से महिला मंडल का हरियाली सावन उत्सव शुरू होगा। आयोजन में समाज की महिलाओं के शामिल होने की अपील समिति सदस्यों द्वारा की जा रही है। समिति ने अधिक से अधिक स्वजातीय महिलाओं से महोत्सव में उपस्थित होकर आयोजन की शोभा बढ़ाने का आग्रह किया है।

# राजधानी में घी के तेरह नमूने असुरक्षित, प्रदेश में 73 नमूने फेल

**▶▶ दूध और दुग्ध उत्पादों के 2234 नमूने लिए, लापरवाही पर तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी निलंबित**

**▶▶ भोपाल के 13 और इंदौर के आठ नमूने असुरक्षित, 42 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस**

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** दूध, घी और दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान घी के कई नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग के अनुसार भोपाल में लिए गए घी के 13 नमूने असुरक्षित मिले हैं, जबकि इंदौर में आठ नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। विभाग ने संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

भोपाल में द्वारकेश, शगुन, गोवर्धन, दानेदार, भूमि, धोलपुर फ्रेश और भूमि प्रीमियम प्योर के नमूने असुरक्षित पाए गए। इसके अलावा डिंडौरी के दो, इंदौर के आठ, उज्जैन के दो तथा दमोह और धार के एक-एक नमूने असुरक्षित मिले हैं।

20 जुलाई से 10 अगस्त के बीच प्रदेशभर में दूध और दुग्ध उत्पादों के कुल 2234 नमूने लिए गए। इनमें दूध के 849, मावा के 106, पनीर के 296, घी के 601 और अन्य उत्पादों के 382 नमूने शामिल हैं। इस दौरान 44,407 किलोग्राम सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 2.73 करोड़ रुपये बताई गई है। अभियान के दौरान आठ अनुज्ञप्तियां निलंबित की गईं और 73 नमूने असफल पाए गए। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 38 प्रकरण दर्ज किए गए तथा एक मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। प्रदेशव्यापी अभियान की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही पाए जाने पर मुरैना के अवनीश गुप्ता, सागर की प्रीति राय और पन्ना के राजेश राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं 42 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। भोपाल के 80 फीट मार्ग और जहांगीराबाद स्थित दो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में पानी मिलने के मामले में बुधवार को जांच के लिए दल भेजा जाएगा।

## होटल में पुलिसकर्मी बनकर युवक-युवती से 70 हजार रुपये वसूले

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** पिपलानी थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में युवक-युवती से पुलिसकर्मी बनकर करीब 60 से 70 हजार रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने तीन आरोपितों अबूजर, रघुवीर और करुणा शाही को गिरफ्तार किया है, जबकि यावर नामक आरोपित फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रारंभिक जांच में इसे हनीट्रैप जैसी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है।

पुलिस के अनुसार घटना तीन अगस्त की शाम करीब छह बजे की है। बरखेड़ी खुर्द निवासी युवक एक युवती के साथ होटल के कमरे में था। इसी दौरान चार लोग कमरे में पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। आरोपितों ने युवक को कार्रवाई और मामले में फंसाने की धमकी दी। इसी दौरान एक आरोपित ने मदद करने और मामले से बाहर निकालने की बात कही। दबाव बनाकर युवक से करीब 60 से 70 हजार रुपये ले लिए गए। घटना के चार-पांच दिन बाद युवक ने पिपलानी थाने में शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तार आरोपितों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई है। पुलिस युवती की भूमिका की भी जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि उसका आरोपितों से पहले कोई संपर्क था या नहीं। आरोपित सामान्य कपड़ों में होटल पहुंचे थे। पुलिस होटल के दृश्यांकन कैमरों के फुटेज, आरोपितों के मोबाइल फोन और आपसी संपर्कों की जांच कर रही है।

# फर्जी मुकदमों के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी लड़ाई : पटवारी

## भाजपा चला रही पुलिस राजः उमंग

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पत्रकारवार्ता में प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में छोटी-छोटी धाराओं में 62 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार पुलिस राज चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसे मामलों को हटाया जाएगा। पटवारी ने कहा कि फर्जी मुकदमों के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक में दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह को नेताओं ने बधाई दी। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह विदेश में होने के कारण बैठक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुए, हालांकि वे दूरभाष माध्यम से जुड़े। कमलनाथ अस्वस्थ होने के कारण बैठक में नहीं आए। नकुलनाथ के शामिल होने की भी संभावना थी, लेकिन छिंदवाड़ा से भोपाल आने वाले विमान के एक इंजन में खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सका। उनके साथ हरीश चौधरी भी आने वाले थे। विमान में खराबी के बाद चौधरी सड़क मार्ग से भोपाल पहुंचे।

# असफलताओं से सीख लेकर निरंतर प्रयास करें:कर्नल हर्ष

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल में एनसीसी इकाई द्वारा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए कैडेट्स एवं छात्राओं के लिए रक्षा सेवाओं में करियर मार्गदर्शन विषय पर प्रेरणादायक व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. प्रतिमा यादव के मार्गदर्शन में हुआ। मुख्य वक्ता 4 एमपी गर्ल्स बटालियन के सेवानिवृत्त कमान अधिकारी कर्नल डॉ. हर्ष मोहन प्रिंजा रहे।

कर्नल हर्ष मोहन ने कैडेट्स को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, संयुक्त रक्षा सेवा, भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा सहित विभिन्न माध्यमों से सशस्त्र बलों में करियर बनाने की जानकारी दी। उन्होंने सिविल सेवा, सहायक प्राध्यापक, शिक्षण और बैंकिंग क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बारे में भी मार्गदर्शन दिया।

उन्होंने अपनी 32 वर्षों की देशसेवा की

यात्रा साझा करते हुए कहा कि असफलता से निराश होकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक समय वे सेवा चयन बोर्ड में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन प्रयास जारी रखे और बाद में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कैडेट्स को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, अनुशासन बनाए रखने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।

वर्तमान में कर्नल डॉ. हर्ष मोहन ज्ञान संकल्प अकादमी, भोपाल में मार्गदर्शक एवं निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी प्रभारी डॉ. नेहा चौधरी ने किया। आभार डॉ. निशी शर्मा ने माना।

# दुर्लभ कछुओं की अंतरराष्ट्रीय तस्करी में दो दोषियों की सजा बरकरार

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** दुर्लभ जलीय जीव लाल तिलकधारी कछुओं की अंतरराष्ट्रीय तस्करी के मामले में सागर के अपर सत्र न्यायालय ने शेखर दास और मोहम्मद सुल्तान की अपीलें खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा बरकरार रखते हुए केंद्रीय जेल सागर भेजने के आदेश दिए हैं। मामला वर्ष 2017 का है। राज्य बाघ कार्यबल और वन विभाग की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य तथा उसके पारिस्थितिकी क्षेत्र से दुर्लभ लाल तिलकधारी कछुओं और पैंगोलिन के शल्क की तस्करी का पर्दाफाश किया था। जांच में सामने आया था कि दोनों आरोपित अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़े थे।

MILLENNIUM
GROUP OF INSTITUTIONS
COLLEGE LEVEL COUNSELLING (CLC)
From 12th August - 14th August 2026
B.Tech (AME, ME, Civil, EX, EC, CSE, AI&ML, AI&DS), Diploma Engineering (AME, ME, Civil, EX), M. Tech (Structure, CTM, Thermal, MD, CSE, DC, PE), Lateral Entry B.Tech (AME, ME, Civil, EX, EC, CSE, AI&ML, AI&DS), Lateral Entry Diploma (AME, ME, Civil, EX), MBA, BBA, BCA
ADMISSIONS OPEN 2026
Admissions will be offered as per DTE norms
Reporting Time :- 10 AM
HURRY UP! FEW SEATS AVAILABLE
Millennium Campus, Nathu Barkheda Road, Neelbad, Bhopal (M.P.)
Call: 9200 100 400, 9200 300 600 or visit: www.millenniumbhopal.com

# हज-2027 के लिए अग्रिम राशि जमा करने की तारीख बढ़ी

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** हज-2027 के लिए अस्थायी रूप से चयनित यात्रियों को अग्रिम हज राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने राशि जमा करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी ने चयनित यात्रियों से निर्धारित समय सीमा में राशि जमा करने की अपील की है। हज-2027 के लिए प्रत्येक चयनित यात्री को 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। यह राशि ऋण पत्र, नामे पत्र या अंतर्जाल बैंकिंग के माध्यम से हज कमेटी की वेबसाइट अथवा हज सुविधा अनुप्रयोग से जमा की जा सकती है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में निर्धारित जमा पर्ची के माध्यम से भी राशि जमा करने की सुविधा है। भुगतान के बाद बैंक संदर्भ संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। राज्य हज कमेटी ने स्पष्ट किया है कि छोटे हज पैकेज का चयन करने वाले यात्रियों को भी निर्धारित राशि जमा करनी होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश लिंक रोड 03, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल म.प्र.
Email:- tendersnhmmp@gmail.com
क्रमांक / एन.एच.एम./स्टोर/2026/E-1214082/1834 विज्ञापन भोपाल, दिनांक 10/08/2026
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र भोपाल कार्यालय द्वारा ई-निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता राशि रूपये 2,000/- (रू. दो हजार मात्र) का ऑनलाईन एम.पी. ई-टेण्डर पर भुगतान कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है, विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा

| क्र. | निविदा का नाम | निविदा प्रपत्र क्रय/प्राप्त करने की दिनांक | प्रि-बिड दिनांक | निविदा पपत्र जमा करने की प्रारंभ दिनांक | निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक | निविदा खोले जाने की दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Request for Proposal For Supply of Cleaning, Crockery and other items to National Health Mission,Madhya Pradesh | 11.08.2026 | 18.08.2026 | 25.08.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 |

विस्तृत विवरण/जानकारी वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in एवं https://www.nhmmp.gov.in पर उपलब्ध है।
(अपर मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)
जी-16986/26
संयुक्त संचालक स्टोर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

**मुद्दा** *पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के अनुरोध पर सांसद तरुण चुग ने उठाया मामला*

# रानी कमलापति स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य तरुण चुग ने भोपालवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता सुरेश पचौरी के अनुरोध को रेल मंत्री के समक्ष रखते हुए राजधानी एक्सप्रेस के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग की है।

तरुण चुग ने पत्र में कहा कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के

आसपास बड़ी संख्या में यात्री और स्थानीय नागरिक रहते हैं। ऐसे में राजधानी एक्सप्रेस का यहां ठहराव होने से भोपाल और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति स्टेशन भोपाल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल है और यहां राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव से बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने रेल मंत्री से मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। चुग ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव से भोपाल के यात्रियों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध होगा और यात्रा में सुविधा बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। रानी कमलापति स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भी इसी दिशा में यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम,भोपाल
जोन क्र.-21(डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहयाद्रि परिसर के पास, भदभदा रोड
सार्वजनिक सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम भोपाल के स्वामित्व की दुकान के नामांतरण हेतु जोनल कार्यालय क्रं.-21 के समक्ष में आवेदनकर्ता द्वारा उनके नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

| क्र. | दुकान/प्लाट क्र. | आवेदक का नाम | मूल आवंटी का नाम | वर्तनाम में स्थल पर काबिज का नाम | आधार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दुकान क्रमांक-08/12, (12 बडी दुकाने) न्यू मार्केट, टी.टी. नगर | श्रीमती शशि सिसोदिया श्री सिद्धार्थ सिसोदिया एवं श्रीमती मीता बघेल आत्मज स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह | श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया आत्मज स्व. श्री कुंवर सिंह | श्रीमती शशी सिसोदिया, श्री सिद्धार्थ सिसोदिया एवं श्रीमती मीता बघेल आत्मज स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह | आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आधार, ब्यान अन्य की छाया प्रति एवं शपथ |

उक्त दुकान से संबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्तानुसार खातों में नाम परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति को कोई वैधानिक आपत्ति है तो वह 15 दिवस के अंदर नगर निगम भोपाल के जोनल कार्यालय क्र. 21 डॉ. भीमराव अम्बेडकर, सहयाद्रि परिसर के पास, भदभदा रोड को लिखित सूचित कर सकता है। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो नगर निगम भोपाल नाम परिवर्तन करने के लिये सक्षम होगा। तत्तपश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
सू. क्र. 576/026/027
जोनल अधिकारी
जोन क्रमांक-21,नगर निगम भोपाल